संख्या–326/XVII(4)/2012/1256/2009

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग देहरादूनः दिनांकः 8 फरवरी, 2012

विषय : **आई0सी0डी0एस0 विभाग में तैनात कार्मिकों के स्थानान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2233/आई0सी0डी0एस0/स्था–1285/2011–12, दिनांक 29.12.2011 के साथ संलग्न श्री धर्मवीर सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खटीमा, उधमसिंहनगर के पत्र दिनांक 20.12.2011 एवं श्रीमती माया भटनागर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहसपुर, देहरादून के पत्र दिनांक 18.01.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा चुनाव सम्बन्धी "आदर्श आचार संहिता" लागू हो चुकी है इसलिए इस दौरान कोई स्थानान्तरण नहीं हो सकता। अतः श्रीमती माया भटनागर, श्रीमती मन्जू कन्नौजिया, श्री धर्मवीर सिंह को, जो जहॉ पर तैनात है उन्हें यथावत वहीं बने रहने दिया जाय। संबंधित कर्मचारियों के स्थानान्तरण आगामी सामान्य स्थानान्तरण सत्र के दौरान वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2011 की व्यवस्थाओ के अन्तर्गत विचार कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया इस संबंध में अग्रेत्तर अपेक्षित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्या 326 / XVII(2)/2012/1265/2009 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी, हरिद्वार, देहरादून तथा उधमसिंहनगर।
2– जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरिद्वार, देहरादून तथा उधमसिंहनगर।
3– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव